



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई

प्रीमियम ईटीए, प्रथम तल, प्लॉट नंबर आठ, महावीर नगर प्रथम, कोटा (राज.) 324005

Project Implementation Unit

Premium ETA, 1st Floor, Plot No.8, Mahaveer Nagar 1st, Kota (Raj.) 324005

दूरभाष/Phone : +91-8130006149

ई-मेल/ E-mail : kota@nhai.org
kotapiu@gmail.com

290120/JVVNL/Darah-Jhalawar-Teendhar/211/3469

dated 15.11.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: Operation & Maintenances of four laning of Deoli-Kota section of NH-12 (New NH-52) from km 167+624 to km 250+144 (Approx length 83.04 kms) in the state of Rajasthan - **Permission for crossing and along the highway of electric line under RDSS (Regeneration Distribution Sector Reform Scheme) at Ch. 17+730, Ch. 21+780, Ch. 24+300, Ch. 27+400 and Ch. 17+350 to 21+780 of NH-52 is Darah to Jhalawar Section -Reg (20250407/1/11/28064/16037) सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।**

संदर्भ: M/s XEN (RDSS), JVVNL Kota letter no. 13 dated 05.04.2025

महोदय,

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता (आरडीएसएस) जेवीवीएनएल कोटा ने पत्र दिनांक 05.04.2025 माध्यम से सक्षम प्राधिकारी, राजमार्ग प्रशासन के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है It is to inform all concern that XEN (RDSS) JVVNL Kota vide letters dated 05.04.2025 has submitted a proposal for subject work

- यह प्रस्ताव राजस्थान राज्य के एन.एच. 52 के दर्रा - झालावाड सेक्शन पर कि.मी. 17+730, कि.मी. 21+780, कि.मी. 24+300, कि.मी. 27+400 और कि.मी. 17+350 से 21+780 पर 33 केवी विद्युत लाइन को पार करने और राजमार्ग के साथ चलने की अनुमति प्रदान करने के लिए है। This Proposal for grant of permission of crossing and along the highway of electric line under 33 Kv RDSS at Km 17+730, Km 21+780, Km 24+300, Km 27+400 and Km 17+350 to 21+780 on the Darrah - Jhalawar section of NH 52 in the state of Rajasthan.
- मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015एसएंडआर(आर) दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन द्वारा प्रस्ताव को दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। As per para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015 S&R (R) dated 22.11.2016, the application shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on ground of public inconvenience, safety and general public interest).
- उपरोक्त के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पहले, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं, क्योंकि इस खंड पर क्रॉसिंग बिछाने और पार करने के कारण आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ निर्धारित तिथि 14.12.2025 तक नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएगी।

In view of the above, before approval of the competent authority, the comments/objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to laying and crossing of crossing on the subjected stretch. The objections/comments may be addressed to the below mentioned address upto 14.12.2025 beyond due date, no comments/objections will be accepted.

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोटा प्रीमियम ईटीए, प्रथम तल, प्लॉट नं० 08, महावीर नगर प्रथम, कोटा (राज०)-324005	Project Director Project Implementation Unit Kota Premium ETA, 1st Floor, Plot No.08, Mahaveer Nagar Ist Kota (Rajasthan)-324005
--	---

भवदीय

(संदीप अग्रवाल)

परियोजना निदेशक

- Copy to: (i) वेब प्रशासन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-dmin@nhai.org]
(ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]
(iii) श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर: सूचनार्थ
(iv) श्रीमान अधिशाषी अभियंता (आरडीएसएस) जेवीवीएनएल कोटा - सूचनार्थ।